न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 63/2020 वाद

उदयलाल पिता शंकरलाल चमार, आयु 35 साल, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. शंकरलाल पिता कनीराम उर्फ कान्हा चमार, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. कैलाश पिता शंकरलाल चमार, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. सम्पत बाई पुत्री शंकरलाल चमार, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. कंचन बाई पुत्री शंकरलाल चमार, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. धापु बाई पुत्री शंकरलाल चमार, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

श्री जगदीश चन्द्र मेनारिया, अधिवक्ता वादी उपस्थित

श्री योगेन्द्र सोलंकी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित

निर्णय

दिनांक 21.07.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात वाके मौजा सतखण्डा की खाता संख्या 604 की आराजी नं. 955, 1610, 1625, 1626, 1629 व 1630 कुल किता 6 कुल रकबा 2.5700 हैक्टेयर कुल लगान 48.64 रूपये भूमि स्थित है। वादी का पारिवारिक शजरा निम्नानुसार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:24:48 IST
Reason: SelfAttested

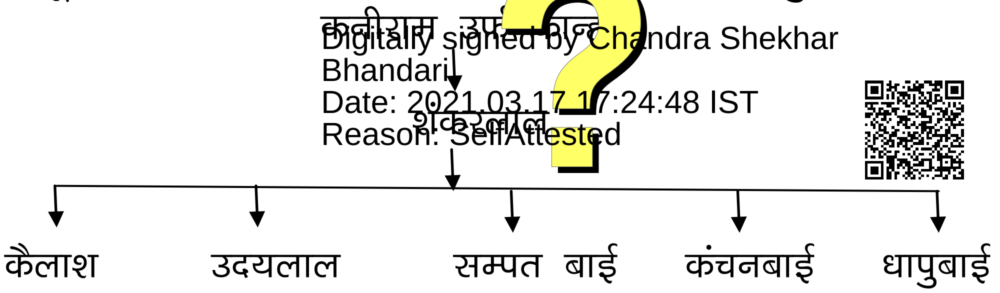

इस प्रकार यह भूमि कनीराम उर्फ कान्हा जी के एक पुत्र शंकरलाल हुआ। शंकरलाल के दो पुत्र कैलाश व उदयलाल तथा तीन पुत्रियां सम्पत बाई, कंचन बाई एवं धापु बाई हुए। इस भूमि में वादी का 1/6, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हक हिस्सा निहित है। इसी अनुसार काबिज काश्त हैं। वादी ने प्रतिवादीगण से इसी अनुसार नाम घोषित करा बंटवारा कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये इसलिये मजबुरन वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि में वादी का 1/6, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हक हिस्सा घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा राजीनामा प्रस्तुत कर वादी का दावा राजीनामें अनुसार निर्णित करने का निवेदन किया है। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने अपने वाद पत्र के साथ ग्राम सतखण्डा की खाता संख्या 604 की नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। नकल जमाबन्दी अनुसार उक्त भूमि शंकरलाल पिता कनीराम चमार निवासी भावलिया के नाम दर्ज रेकार्ड है। पिता द्वारा पुश्तैनी जमीन में अपने पुत्रों का हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु राजीनामा प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। वाके मौजा सतखण्डा की खाता संख्या 604 की आराजी नं. 955, 1610, 1625, 1626, 1629 व 1630 कुल किता 6 कुल रकबा 2.5700 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/6, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित के हिस्से पर बदस्तुर रहेगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 21.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:24:48 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 63/2020 वाद

उदयलाल पिता शंकरलाल चमार, आयु 35 साल, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. शंकरलाल पिता कनीराम उर्फ कान्हा चमार, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. कैलाश पिता शंकरलाल चमार, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. सम्पत बाई पुत्री शंकरलाल चमार, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. कंचन बाई पुत्री शंकरलाल चमार, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. धापु बाई पुत्री शंकरलाल चमार, आयु वयस्क, निवासी भावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.</u>

पत्रावली में आज दिनांक को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सोलंकी की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। वाके मौजा सतखण्डा की खाता संख्या 604 की आराजी नं. 955, 1610, 1625, 1626, 1629 व 1630 कुल किता 6 कुल रकबा 2.5700 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/6, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित के हिस्से पर बदस्तूर रहेगा। [illegible] फरिकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 21.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:34:48 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official